न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 56/2019

उनवान

1 चांद पत्नी हरकरण पुत्रवधु गोकल,
2. रामगोपाल,
3. रामचरण,
4. शिवजी पुत्र हरकरण पौत्र गोकल,
5. कमला,
6. इन्द्रा पुत्र हरकरण पौत्री गोकल,
7. भंवरी पत्नी बालूराम पुत्रवधु हरनाथ,
8. रामप्रसाद,
9. ओमप्रकाश,
10. रामजीलाल पुत्र बालूराम पौत्र हरनाथ,
11. शारदा पुत्री बालूराम पौत्री हरनाथ जाति जाट नि0 नान्दला, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री मौ0 इकबाल

बनाम

1. किशनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति जाट नि0 नान्दला, नसीराबाद,
2. उप पंजीयक नसीराबाद,
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
4. प्रबन्धक महोदय, बैंक आफॅ बडौदा शाखा नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1. जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
2 व 3 जरियें राज0 पैरोकार
4 अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सी. पी.सी.

दिनांक :– 19.4.23

–: आदेश :–

प्रार्थी ने उक्त [illegible] निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के चौसाला खसरा नम्बर 842 मिन रकबा 1–1[illegible]6 हाल खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.32 की आराजी फसली खतौनी संख्या 1029 के [illegible] लक्ष्मण जाट के नाम थी। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 20[illegible] व 2023–2026 के खाता संख्या 343 व 412 के अनुसार भी भूमि खातेदारी दर्ज है। रघुनाथ के स्वर्गवास के बाद [illegible] नामान्तकरण संख्या 535 दिनांक 22.10.1967 के अनुसार वारि[illegible] गोकल व हरनाथ के [illegible] दर्ज की गयी।

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

... हरनाथ के वारिस प्रार्थीगण ही है। हाल खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.32 में से ... खतेदार प्रार्थीगण है। वंर्किग खसरा नम्बर 1126 रकबा 0 5 0 के खातेदार ... पुत्र औंकार है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 है। हाल खसरा नम्बर 1126 ... 0.32 में से 0.28 का खातेदर त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 को अंकित कर दिया ... उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के ... काश्त में दखलदांजी की जारही है तथा भूमि को अन्यत्र बेचान करने पर आमादा है। ... अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर 1126 रकबा 1–18–0 व हाल खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.32 जगन्नाथ पुत्र औंकार के नाम खातेदारी दर्ज है। जिनका स्वर्गवास हो गया है। नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 20.07.09 द्वारा जगन्नाथ की विरासत दर्ज की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही है। आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी है। वंर्किग खसरा नम्बर 1126 रकबा 2–0–0 का पर्चा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। विवादित भममि पर 60 बाई 60 फिट यानि 3600 वर्ग फिट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इण्डस टॉवर लिमिटेड को दिनांक 09.11.09 को लीज पर दी गयी। आराजी मुतनाजा सहमती से विभाजन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम करने के आदेश तहसीलदार नसीराबाद द्वारा जारी किये गये। जगन्नाथ के अन्य वारिसान को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थीगण का आराजी मुतनाजा पर कब्जा नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 बावजूद तामीली प्रकरण में उपस्थित नही हुये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रस्तुत नजीर का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 842 रकबा 1–15–10 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2019–22 व 2023–26 में रूघनाथ पुत्र लक्ष्मण के नाम अंकित है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 1126 जगन्नाथ पुत्र औंकार के नाम खातेदारी दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 1126 जरियें विरासत व सहमती विभाजन अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वंर्किग खसरा नम्बर 1126 व हाल खसरा नम्बर 1126 का पर्चा भी अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम जारी किया गया। प्रार्थीगण ने बरवक्त भू प्रबन्ध कोई आपत्ति पेश नही की है। उक्त आराजी लगभग 52 वर्षा से अप्रार्थी संख्या 1/पिता के नाम खातेदारी चली आ रही है। प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी में खातेदारी दर्ज थी। किन्तु वंर्किग व उसके बाद हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1/पूर्वज के नाम दर्ज चली आ रही है। राजस्व अभिलेख में त्रुटि ... वाद में साक्ष्य आदि से होगा। आराजी मुतनाजा में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ... फिट यानि 3600 वर्ग फिट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इण्डस टॉवर लिमिटेड को ... लीज पर दी गयी। आराजी मुतनाजा सहमती से विभाजन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम करने के आदेश तहसीलदार नसीराबाद द्वारा जारी किये गये। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी का कुछ भू भाग लीज पर दिये जाने के समय काई आपति ...त नही की। उक्त भू भाग पर वर्तमान में टॉवर बना हुआ है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वाद कारण दिनांक 27.06.19

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बताया है किन्तु उत लीज दिनांक 09.11.09 को ही पंजीबद्ध हो गयी थी। आराजी मुतनाजा पर टॉवर बने होने के बावजूद प्रार्थीगण द्वारा सम्बन्धित कम्पनी को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है।

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा साबिक राजस्व अभिलेख के आधार पर इन्द्राज दुरुस्ती चाही है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कई वर्षो से आराजी मुतनजा का रकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी पर अपने कदीमी कब्जे काश्त के सम्बन्ध में भी कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किये है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होंगे। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया विरुद्ध प्रार्थीगण बहक अप्रार्थीगण सिद्ध होता है।

2. **अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना** :– विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा वर्किंग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1/पूर्वज के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी का कुछ भाग टॉवर कम्पनी को लीज पर दिया गया जिस पर टॉवर भी बना हुआ है। प्रार्थीगण ने अपने कब्जे के सम्बन्ध में कोई प्रमाण पेश ही किये है। रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। पूर्व इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य से तय होगा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने से अपूरणीय क्षति की संभावना अप्रार्थी के पक्ष में होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्ध नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्ध नही होता है।

आदेश :– अतः ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.32 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:38:57 IST
Reason: SelfAttested